कार्यालय उप वन संरक्षक जयपुर

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड , जयपुर–302012
TEL.Phone 0141-2350061 E-Mail:- dfosouthjpr@gmail.com

क्रमांक एफ( )/FCA/उवसंज/2019–20/ 643 दिनांक 17.02.2020

निमित्तः–

सहायक अभियन्ता जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

विषयः– Construction of Approach Road From Kachrewala Road to Shamshan Ghat G.P. Kukus Zone- 13 JDA Jaipur .

सन्दर्भः– आपका पत्रांक अधि.अभि.13/2019–20/डी 258 दिनांक 23.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रावलियों में निम्नानुसार कमियां पायी गई हैः–

1. कूकस ग्राम में प्रस्तावित शमशान भूमि तक सडक निर्माण प्रस्तावित किया गया है परन्तु बडी लाईन आमेर 54 वन खण्ड की आरक्षित वन भूमि में उक्त विषयान्तर्गत प्रस्तावित शमशान घाट(जो कि वन खण्ड में शामिल ग्राम कूकस की आरक्षित वन भूमि है) का प्रयोग करने का अधिकार वन खण्ड पत्रावली के अधिकार एंव रियायतों की सूची में वर्णित नहीं है। अतएव प्रत्यावर्तन करवायी जाने वाली भूमि के क्षेत्र में उक्त शमशान घाट की वन भूमि को भी शामिल करवाने का कष्ट करावें।

2. आपके द्वारा प्रेषित सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 5 पर बताया गया है कि अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है, जबकि कूकस से कचरावाला ग्राम तक जाने वाली रोड से सीधी सडक प्रस्तावित शमशान भूमि तक जा सकती है। जिसकी लम्बाई आप द्वारा प्रेषित पत्रावली के साथ सलंग्न राजस्व मानचित्र के अनुसार भी लगभग 100 मीटर से 200 मीटर तक ही है। अतः आपके द्वारा प्रेषित शपथ पत्र **न्यूनतम वन भूमि उपयोग** एंव अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना सही नही है।

3. सुओ मोटो प्रकरण संख्या 11153/2011 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित Monitoring Committee के देखरेख में कूकस बांध को जोडने वाली मुख्य नदी /चैनल क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाये गये थे, ताकि बांध तक पानी प्रवाह निर्बाध रूप से पहुँच सके एंव पानी प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नही हो। कूकस बांध सिंचाई विभाग के अधीन है एंव इस प्रकरण(11153/2011) में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, जयपुर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतएव **अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग जयपुर** से उक्त सडक बनाने पश्चात कूकस बांध तक पानी प्रवाह में कोई व्यवधान उत्पन्न नही होगा यह सुनिश्चित करें एंव इस आशय का **अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।**

अतः कृपया उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर पत्रावली पुनः प्रस्तुत करें ताकि अग्रीम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,

(डॉ. कविता सिंह)
उप वन संरक्षक
जयपुर